मैसर्स बालमेर लावरी एण्ड कम्पनी द्वारा पेराफिन बैक्स का आयात

†8. **श्री नत्थी सिंह :**
श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :
श्री सैयद निज़ामुद्दीन :
श्री कमलनाथ झा :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पैराफिन वैक्स का प्रति टन मूल्य कितना है और मैसर्स बालमेर लावरी एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस पर जिस पैराफिन वैक्स का आयात कर रही है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कम्पनी उपभोक्ताओं द्वारा इस वैक्स के पूरे मूल्य की नकद अग्रिम अदायगी किए जाने का आग्रह कर रही है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार कम्पनी को यह निदेश देने का विचार रखती है कि वह नकद अदायगी का आग्रह करने के बजाय बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किये गये उधार पत्रों को स्वीकार करे ?

Import of Paraffin Wax by Messrs Balmer Lawrie and Company

*8. SHRI NATHI SINGH:
SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: SHRI SYED NIZAMUDDIN: SHRI KAMALNATH JHA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the price per ton of paraffin wax at present and what will be the selling price of paraffin wax which is being imorted by M/s. BalmerLawrie and Company, Calcutta on the licences granted by Government;

(b) whether Government are aware that the said company is insisting on advance cash payment of the full price for the wax from the consumers and if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to direct the company to accept letters of credit issued to consumers by the banks instead of insisting on cash payments?]

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) देशीय पैराफिन मोम की कीमत लगभग 2200 रुपए प्रति मी० टन है ; अब मैसर्स बामेर लारी एण्ड कम्पनी द्वारा आयात किये जा रहे पैराफीन मोम की कलकत्ता से बाहर की कीमत प्रति मी० टन लगभग 9000 रुपए से 9,500 रुपये होगी ।

(ख) बामेर लारी उपभोक्ता उद्योगों द्वारा परिमात्राओं के पंजीकरण हेतु आयात वाणिज्य नियंत्रण नीति में निहित व्यवस्था के अनुसार अर्थात् सी०आई०एफ० मूल्य पर 2 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपए इस में से जो भी कम हो, नकदी बयाना के रूप में वसूल कर रही है । बामेर लारी सामग्री की सी० आई०एफ०मूल्य पर आधारित पार्टियों से नकदी अग्रिम धन ले रही है । बकाया सीमा शुल्क समतुल्य शुल्क और निपटान प्रभार माल के भारत आ जाने पर ही वसूल किये जायेंगे ।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Nathi Singh.

† [ ] English translation.

सी०आई०एफ० कीमत की अग्रिम नकद अदायगी पर जोर दिया जा रहा है, उसके मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(i) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उन व्यापारिक संस्थाओं की आवश्यकता समुचित हो, जो इस सामग्री के लिए मांग रख रही हैं; और सामग्री के पहुंचने पर उसे उठाने के लिए अपने वायदे से मुकर नहीं जायेंगे ।

(ii) कई व्यापारि संस्थाओं की आवश्यकता इतनी कम हैं कि वह आधा मी० टन के बराबर है ।

(iii) इस बात को सुनिश्चित करना कि कम्पनी के धन को बहुत लम्बे अर्से तक रोका न रखा जाये ।

(ग) जी, नहीं । क्योंकि इससे मैसर्स बामेर लारी के लिए प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी और माल के लदान/उठान के प्रभार बढ़ जायेंगें ।

t[THE MINISTER OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Satement

(a) The price of indigenous paraffin wax is about Rs. 2200 per tonne; the selling price of paraffin wax now being imported by M/S Ballmer Lawrie and Company would be approximately Rs. 9000 to Rs. 9500 per tonne ex-Calcutta.

(b) Balmer Lawrie is recovering earnest money in cash for the registration of quantities by the consumer industries as provided in the Import Trade Control Policy i.e. at the rate of 2 per cent on the CIF value or Rs. 50,000 whichever is less. Balmer Lawrie is taking an advance payment from the parties in cash based on the CIF value of the material. The bala-nce-customs/Countervailing duties and handling charges is to be recovered at the time of arrival of goods in India.

The main reasons for insisting on advance cash payment of the CIF value are:

(i) to ensure that the parties who are indenting for this material have genuine requirement and would not back out of uplifting the material on its arrival.

(ii) the requirements from some parties are as small as half a tonne.

(iii) to see that the funds of the Company are not blocked for a long time.

(c) No Sir; because it will create administrative problems for M/s Balmer Lawrie and it will increase the handling charges.]

श्री नत्थी सिंह : श्रीमन्, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में यह कहा है कि पैराफिन की कीमत 22 सौ रुपए प्रति मीट्रिक टन है और जो आयातित है उसकी कीमत 9 हजार से साढ़े नौ हजार प्रति मीट्रिक टन है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं को राहत मिले, पैराफिन ज्यादा मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पैराफिन में ऐक्सट्रेक्ट करने के लिए दो रिफाईनरियों में नए प्लांट लगाने की योजना विचाराधीन है—एक मद्रास में और दूसरी बरौनी में ।

श्री नत्थी सिंह : (ख) और (ग) मैंने मंत्री जी से कहा है कि उपभोक्ता कम्पनी से दो परसेंट या कम से कम 50 हजार रुपया

f[ ] English translation.

नकद जमा करानी है, उसके लिए आपने कारण दिए हैं कि जिससे यह ऐश्योर हो जाए कि वह लेंगे ही क्योंकि थोड़ी मात्रा में उसकी मांग होती है। तीसरा, आपने कहा है कि इस कम्पनी के फंड्स ब्लाक् न हो जायें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन से जो 50 हजार रुपया कम से कम आप लेते हैं उनके फंड्स ब्लाक् होते हैं, इसलिए अगर बैंक गारन्टी आप उनसे लें तो इससे इन कम्पनियों की दिक्कत दूर हो जाएगी तो बैंक गारन्टी लेने में क्या दिक्कत है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, बात यह है कि कुल जमा अभी तक 600 टन आयात हुआ है। छोटी-छोटी आइटम हैं जिनके लिए किसी को 15 टन तो किसी को 20 टन और किसी को 50 टन चाहिए। अगर हम इतने लोगों की बैंक गारन्टी लेंगे तो उतने बिल अलग बनेंगे, उतने पैकेट अलग बनेंगे, उतनी कलीयरेंस हम को करानी पड़ेगी। यह सब मामला उलझन का है। देश में 42 हजार 300 टन की खपत है और 600 टन बाहर से आने की बात है तो इसलिए बिना वजह कम्पनी को मुसीबत में डालना कोई अच्छा फायदा नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मंत्री जी ने इस सुवाल को बड़े हल्के-फुल्के ढंग से टाल दिया। सवाल यह है कि इसमें छोटे-छोटे उद्योग वाले कैंडिल बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं या बूट पालिश बनाते हैं उनको 10 टन, 20 टन या 50 टन की जरूरत पड़ती है। अगर इम्पोर्ट कम्पनी उनसे एडवांस कैश जमा कराएगी, फर्ज कीजिए 50 हजार रुपए जमा कराए तो 50 हजार रुपए का सूद 7 हजार रुपए बैठता है। मैं बताना चाहता हूं कि बैंक की गारन्टी उतनी ही निश्चित है जितनी कैश। बजाय कैश लेने के अगर बैंक की गारन्टी पर यह अपना काम करने लगें तो मैं समझता हूं कि इन्हें इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। मंत्री जी कह रहे हैं कि पैकेट बनाने पड़ेंगे, उतनी ही कोरसपोंडेंस करनी पड़ेगी और उतने ही वाउचर बनाने पड़ेंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें इतना खर्च और इतनी परेशानी होगी जितनी की उन छोटे कारखाने वालों को, जो कि 10 टन, 20 टन लेंगे। उसका रुपया साल भर तक ब्लाक रहेगा। वह रोजगार करता है कर्ज लेकर और जब कर्ज लेकर रुपया लगाएगा तो रुपया साल भर तक ब्लाक हो जाएगा इससे कम्पनी को लाभ होगा। हम यह चाहते हैं कि बड़ी कम्पनी को लाभ पहुंचाने से ज्यादा अच्छा है उस छोटे कारखाने वालों को, छोटे व्यवसाय वालों को लाभ हो। इसलिए क्या आप इस पर गौर करेंगे कि नियम में यह संशोधन करें बजाय कैश मांगने के बैंक गारण्टी कर वह काम करें और उसको इम्पोर्ट करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह गलत-फहमी नहीं होनी चाहिए इसलिए निवेदन है कि यह कम्पनी सरकार कम्पनी है और किसी प्राइ-वेट आदमी का कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए मुनाफा किसी प्राइवेट कम्पनी को नहीं होता है बल्कि भारत के खजाने को मुनाफा पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि छोटे बूट पालिश बनाने वाले जो हैं उनको इसकी जरूरत होती है तो यह बूट पालिश वालों का सवाल नहीं है इसे तो राज्य सरकारों को देखना चाहिए क्योंकि हम उनके पास भेजते हैं वैक्स। छोटे आदमियों को अन्दर वाले दें और जो ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं उनको यह इम्पोर्टेड कोटे के लिए रिकमेंड करें।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अफसर कितने भ्रष्ट हैं और किस तरह से छोटे छोटे लोगों को इग्नोर करते हैं। इसलिए आप को उनको देख कर इस पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : शाही जी जो आपके हृदय की बात निकल रही है इसको मैं समझता हूं इसलिए इसको मैं देखूंगा सिर्फ

एक आसपक्ट पर। जो रुपया हमारे यहां जमा हुआ, जो बैंक में जमा कर दिया गया है उस पर क्या सूद मिलता है ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : 10 परसेंट।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बिना रुपया लिए हुए मान्यवर, लाइसेंस देना, बाहर से सामान मंगाना बड़ा मुश्किल है और फिर मूल्य बढ़ जाने की वजह से लोग उसे उठाते भी नहीं हैं। इसमें बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए इससे करना सम्भव नहीं है।

श्री सैयद निजामुद्दीन : मैं यह जानना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टिड क्वान्टिटी है वह आपके कहने के मुताबिक बहुत कम है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो इम्पोर्ट आप करते हैं उसकी कीमत और घरेलू जो हम पैदावार करते हैं उसमें बड़े अन्तर है, गवर्नमेंट हमें यह बताए कि बाहर से हम को इम्पोर्ट न करना पड़े इसके लिए क्या काम हो रहा है और यह कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना : मान्यवर, जो हमें इम्पोर्ट करना पड़ा वह अब तक 600 टन है। यह विपत्ति एकाएक पैदा हो गई जिसके कारण हम को इम्पोर्ट करना पड़ा। जैसा कि मैंने अर्ज किया 3 से 4 साल के बीच में मोम के मामले में भारत को बाहर नहीं देखना पड़ेगा।

Bhagwati Committee Report

*9. SHRI IBRAHIM KALANIYA:f SHRI S. W. DHABE: SHRI YOGENDRA MAKWANA; SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ: PROF. N. M. KAMBLE:

Will the Minister of LAW. JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

fThe question was actually asked on the floor of the House toy Shri Ibrahim Kalaniya,

(a) whether Government have received the final report of the Committee on Legal Aid to the Poor appointed under the Chairmanship of Mr. Justice P. N. Bhagwati;

(b) Some of the major recommendations; and

(c) what steps Government have taken to implement them?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes. Sir.

(b) Some of the major recommendations made by the Committee are:—

(i) reduction in court fee and complete exemption in the case of poor;

(ii) setting up of Legal Services Organisation throughout the country, e.g. setting up of a high powered autonomous National Legal Services Authority at the apex. State Boards of Legal Services at the State level, Regional Boards for legal services within a State and Zonal Councils for the purpose of co-ordinating the activities of the State Boards functioning in a particular Zone. The main task of these authorities will be to formulate schemes for delivery of legal services within the area of their respective jurisdiction and also to frame model schemes for the guidance of the other authorities and generally to lay down the policy and programme of Legal Aid.

(Hi) For the delivery of legal services, it is recommended that Legal Services Committees may be constituted at the district level and also at Block and Tahsil level. It is also proposed to set up a High Court Legal Services Committee, attached to each High Court, and the Supreme Court Legal Services Committee, for delivery of legal services in these courts.

(iv) Setting up of Special Cells for dealing with the problems and difficulties of different categories of weaker sections of community, e.g.